20 एकड़ में IT सिटी, 2500 वर्ग मीटर में बन सकेगा पार्क

योगी की अगुआई में कैबिनेट ने संशोधित नीति को दी मंजूरी

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ :** सरकार का ध्यान प्रदेश की टीयर टू व थ्री के शहरों में भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सुविधाओं के विस्तार पर है। इसलिए आईटी सिटी एवं आईटी पार्क के निर्माण के मानक काफी आसान कर दिए गए हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठिक में आईटी पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। अब 20 एकड़ में आईटी सिटी और 2500 वर्ग मीटर में आईटी पार्क बन सकेगा।

आईटी मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि आईटी सिटी के लिए पहले जमीन का मानक 100 से 500 एकड़ तक का था। अब इसे घटाकर 20 एकड़ कर दिया गया है। 500 करोड़ या अधिक के निवेश पर सरकार 75% भूमि और 40% कैपिटल सब्सिडी भी देगी।

वहीं, आईटी पार्क के लिए पहले 15 हजार वर्गमीटर जमीन की आवश्यकता थी। अब यह दायरा 90% कम हो गया है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी एवं प्रयागराज में इसे 2500 वर्गमीटर में भी बनाया जा सकेगा। वहीं, बाकी शहरों के लिए 1500 वर्ग मीटर का मानक तय किया गया है।

गंगा एक्सप्रेस-वे हरिद्वार तक बढ़ेगा

जल्द ही हरिद्वार से प्रयागराज तक सीधी कनेक्टविटी होगी। कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेस-वे के हरिद्वार तक विस्तार को मंजूरी दे दी है। यह विस्तार करीब 147 किमी लंबा होगा। अमरोहा जिले के रिखालू गांव के पास गंगा एक्सप्रेस-वे से शुरू होकर हरिद्वार बाईपास तक यह विस्तार होगा। परियोजना की अनुमानित लागत 10,761 करोड़ रुपये है। इससे अमरोहा, बिजनौर और हरिद्वार सीधे जुड़ेंगे और प्रयागराज और हरिद्वार, दोनों कुंभ नगरियों के बीच तेज और सुगम संपर्क स्थापित होगा।

वही, कैबिनेट ने झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना पर भी सहमति दे दी। 7,968.30 करोड़ रुपये की लागत से 106.30 किलोमीटर लंबे झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण होगा। यह एक्सप्रेस-वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को झांसी के पास डिफेंस कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से जोड़ेगा।

साक्षर भारत कर्मियों को बकाया मिलेगा

सरकार ने साक्षर भारत मिशन के तहत कार्यरत रहे जिला एवं ब्लॉक समन्वयकों एवं शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय के भुगतान के लिए 260.53 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है। इससे 256 जिला समन्वयक, 746 ब्लॉक समन्वयक और 94,360 शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय का भुगतान होगा। सूत्रों के अनुसार इन कर्मियों का कुल बकाया मानदेय 401.25 करोड़ रुपये था। 3.07 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इसे समय देनदारी 398.18 करोड़ रुपये है। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के खाते में उपलब्ध 137.65 करोड़ रुपये समायोजित करने के बाद 260.53 करोड़ रुपये की और जरूरत थी जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया। बीएसए के सत्यापन के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

सहायक विकास अधिकारी की होगी भर्ती

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है। अब सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के 50% सीधे भर्ती से और 50% पद ग्राम पंचायत अधिकारियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे। सीधी भर्ती यूपीअधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी। अभ्यर्थियों के लिए स्नातक योग्यता निर्धारित की गई है। सीधी भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है।

बुनकरों के लिए विकसित होंगे क्लस्टर

हथकरघा बुनकरों को संगठित कर उनकी आय बढ़ाने और बाजार उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना को हरी झंडी दे दी गई है। इसमें अगले पांच वर्षों में 150 हथकरघा क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जिन पर करीब 388 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। हर क्लस्टर में 25 बुनकरों को जोड़ा जाएगा और उन्हें बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षण, डिजाइन विकास सहायता दी जाएगी। प्रति क्लस्टर अधिकतम 2.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

नई श्रम नियमावलियों को मंजूरी

यूपी में 20 से अधिक पुराने श्रम कानूनों और नियमावलियों की जगह नई श्रम संहिताओं के अनुरूप एकीकृत व्यवस्था लागू होगी, जिससे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और उद्योगों को कारोबार दोनों में आसान होगी। सामाजिक सुरक्षा नियमावली के तहत असंगठित श्रमिकों, निर्माण कर्मकारों और महिला कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, ग्रेच्युटी और मातृत्व लाभ जैसे प्रावधान किए गए हैं। वही, कार्य दशा नियमावली में प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था, कार्य के घंटे, सुरक्षा मानकों, संविदा और प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों एवं स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े व्यापक प्रावधान शामिल है।

ये भी फैसले हुए

- मैनपुरी में समान पक्षी विहार के पास पर्यटन विकास को ग्राम सभा की 6 हेक्टेअर जमीन पर्यटन विभाग को निःशुल्क दी जाएगी। विहार के नाम मयंक ऋषि के नाम पर रखा जाएगा।
- पुलिस की जिला इकाइयों की कंडम गाड़ियों को हटाकर 872 करोड़ रुपये से 1323 वाहन खरीदे जाएंगे।
- पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर सुलतानपुर के समीप इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक्स क्लस्टर के लिए 272.25 करोड़ रुपये खर्च कर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।
- 8 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट को मंजूरी, 2900 करोड़ से अधिक का निवेश होगा।
- एफडीआई पॉलिसी के तहत 3 कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी होगा। इनसे 2605 करोड़ रुपये का निवेश आएगा।
- लखनऊ-हरदोई सीमा पर टेक्सटाइल पार्क के आंतरिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए मास्टर डिवेलपर चयनित होगा। इस पर 1950 करोड़ खर्च होंगे। निर्माण के बाद 50 साल तक इसके मेंटेनेस की जिम्मेदारी भी डिवेलपर की होगी।
- कोर्ट मैनेजर का ग्रेड पे रिवाइज होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट (कोर्ट मैनेजर्स सेंट्रलाइज्ड सर्विस) रूल 2026 को मंजूरी, हाई कोर्ट व जिला न्यायालयों के कोर्ट मैनेजर की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें समान होंगी।
- 425 करोड़ रुपये खर्च कर 250 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी, ये रोडवेज के बेड़े में जुड़ेंगी।
- जनसेवा केंद्र योजना नए स्वरूप में आएगी, सुविधाओं एवं जवाबदेही का विस्तार होगा।